

6/3/23

वकलाए फरीकेन उप० PO माहव
पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार
दिनांक 21/3/23 को पेश हो।

21/3/23

वकलाए फरीकेन उप० PO माहव
पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार
दिनांक 28/3/23 को पेश हो।

28.3.23

वकलाए फरीकेन उप० PO माहव
पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार
दिनांक 12.4.23 को पेश हो।

12/4/23

वकलाए फरीकेन उप० PO माहव
पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार
दिनांक 26/4/23 को पेश हो।

4/5/2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग झमियान कैंप
तिहपुरा में पेश हुई। प्रार्थी खतवीर तिह
पुत्र बलजीत तिह जाते जट सिख द्वारा
चक 21 AMP में मु.न. 03, पत्थर नं.
117/155 में अपन खोतदारी किला जात
8 ता 13, 17 ता 24 में जानै के लिए
ऐप्रोच रोड से होकर कोई रास्ता नहीं
होने से; अप्रार्थी के किला नम्बर 25/1
में 0.025 हेक्टे. भूमि रास्ते के रूप में
मंजूर करत बाबत प्रार्थना पत्र धारा 251-A
RTA के तहत पेश किया।

शु. झमिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट
दिनांक 27.02.2023 का झवलोकन किया।



श्री. अ. निरीक्षण की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पत्थर नं. 117/155 के मु.नं. 3 के किला नम्बर 15, 16, 25; अप्रार्थी का खोले दारी रकबा है, जिनके पूर्ण दिशा में सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग से प्रार्थी को पहुँचने के लिए किमान नम्बर 16/ या 25/ में से होकर ही गुजरने का निकटतम विकल्प है। चूंकि किला नम्बर 25/ पत्थर लाइन पर स्थित है अतः प्रार्थी को किला नम्बर 25/ के दक्षिणी दिशा में पत्थर लाइन से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम घोर की ओर 16.5 फीट चौड़ा रास्ता ही निकटतम मार्ग का स्रोत होगा।

प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता (absolute necessity) है जो केवल उसकी जेत तक दुविधा के भोग के लिए नहीं प्रकट होकर वास्तव में रास्ते की आवश्यकता के मध्यमजर अन्य कोई विकल्प रास्ते के रूप में मौका अनुसार नहीं है। अतः प.नं. 117/155 के मु.नं. 3 के किला नं. 25/ में 0.022 है (148.5' x 16.5' फीट) जे. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है।
राजस्थान कायदेकारो (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1) ii(v) के तहत DLC दरों की दुगुनी राशि की कीमत, प्रार्थी, अप्रार्थी को अदा करेगा। तद्वतिल राजस्व लेखाभार, कीमत की गणना कर प्रार्थी को अवगत कराये। अप्रार्थी द्वारा रास्ते की एवज में निर्धारित रकम का मुआवजा लेने से इनकार करने की दशा में अमानत मद में तद्वतिलदार चालान लक्षितमा कोषमेंगा। प्रार्थी द्वारा रकम जमा करवाने के बाद राजस्व रिपोर्ट में जे. मु. रास्ता उक्त अनुसार दर्ज किया जावे। आदेश (नुमागमा)



5/5/23
SDO कंफ: सिंदपुरा